रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012021-224581
CG-DL-E-20012021-224581

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] **नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942**
No. 27] **NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942**

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 36(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (सिविल सेवा) नियमावली, 2003 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. (1) ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (सिविल सेवा) संशोधन नियमावली, 2015 कहलाएंगे।

   (2) यह नियमावली 1 अक्टूबर, 2009 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

2. प्रवेश ग्रेड तथा चयन ग्रेड से संबंधित अनुसूची 1, भाग ग के अंतर्गत दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 के सा. का. नि. 717 (अ) के तहत अधिसूचित संशोधन नियमावली, 2009 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (सिविल सेवा) नियमावली, 2003 (इसे इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित) में अंडमान और निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पदों से संबंधित मद (ख) में-

   (क) क्र.सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

“16	सूचना अधिकारी	2
“17	पर्यटक सूचना अधिकारी	2”

(ख) ‘पदों की संख्या’ से संबंधित कॉलम के अंतर्गत प्रविष्टि “18” के लिए प्रविष्टि “22” प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. उक्त नियमावली में, सेवा के ग्रेड और स्वीकृत संख्या से संबंधित अनुसूची 1, भाग-क के अंतर्गत, स्वीकृत संख्या से संबंधित मद (ख) के तहत, (2) तथा ‘कुल’ में, ‘’पदों की संख्या’ कॉलम के अंतर्गत,

(क) प्रविष्ट “24” के लिए प्रविष्टि “28” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) प्रविष्ट “472” के लिए प्रविष्टि “476” प्रतिस्थापित की जाएगी;

4. उक्त नियमावली में, अनुसूची 1 में ‘’पदों की संख्या से संबंधित कॉलम के अंतर्गत ‘’कुल” में-

(क) प्रविष्ट “273” के लिए प्रविष्टि “277” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) प्रविष्ट “363” के लिए प्रविष्टि “367” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) प्रविष्ट “472” के लिए प्रविष्टि “476” प्रतिस्थापित की जाएगी।

नोट : मूल नियमावली दिनांक 6 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 635 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी तथा बाद में 1 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 717 (अ) के तहत संशोधित की गई थी।

<u>स्पष्टीकरण ज्ञापन</u>

श्री विरेन्द्र कृष्ण मिश्रा द्वारा दायर एसएलपी (सिविल) सं. 11120/2012 की सिविल याचिका सं. 9979/2014 में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के आदेश के निदेशानुसार, इस नियमावली को भूतलक्षी प्रभाव से 1 अक्टूबर, 2009 से लागू किया जा रहा है।

[फा.सं. 14040/27/2012-यूटीएस-II]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2015

G.S.R. 36(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil Service) Rules, 2003, namely: -

1. (1) These rules may be called the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil Service) Amendment Rules, 2015.

(2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of October, 2009.

2. In the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil Services) Rules, 2003 read with the Amendment Rules, 2009 notified vide G.S.R. 717(E) dated 1st October, 2009 (hereinafter referred to as the said rules) under Schedule I, Part C relating to posts in Entry Grade and Selection Grade, in item (b) relating to the posts under Andaman and Nicobar Administration-

(a) after SI. No. 15 and the entries relating thereto, the following Sl Nos. and entries shall be inserted, namely: -

“16	Information Officer	2
17	Tourist Information Officer	2”

(b) for the entry "18" under the column relating to ‘No. of Posts’, the entry "22" shall be substituted.

3. In the said rules, under Schedule I, Part-A relating to Grades and Sanctioned Strength of the Service, in item (b) relating to sanctioned strength, under (2) and ‘Total', under the column "No. of Posts",

(a) for the entry "24", the entry “28” shall be substituted;

(b) for the entry "472", the entry "476 shall be substituted.

4. In the said rules, under “Total”, under the column relating to “no. of posts” in the Schedule I, -

(a) for the entry "273", the entry "277" shall be substituted;

(b) for the entry "363", the entry "367" shall be substituted;

(c) for the entry "472", the entry "476" shall be substituted

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extra ordinary vide notification number G.S.R. 635(E), dated 6th August, 2003 and was subsequently amended vide notification number G.S.R. 717(E), dated 1st October, 2009.

Explanatory Memorandum

As per the directions of the Hon’ble Supreme Court in its order dated 31st October, 2014 passed in Civil Appeal No 9979/2014 arising out of SLP (Civil) No. 11120/2012 fled by Shri Virendra Krishna Mishra, these rules are being given retrospective effect from 1st Day of October, 2009.

[F. No. 14040/27/2012-UTS-II]
RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.20 21:49:24 +05'30'